भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1656
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

1656. कु. सुधा आर.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 से अब तक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) के अंतर्गत नामांकित किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सबसे कमजोर किसान परिवारों के लिए बनाई गई पेंशन योजना हेतु मासिक अंशदान के लिए राज्य-वार कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ग) वर्ष 2020 से अब तक उक्त योजना के अंतर्गत मइलादुथुरई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने किसानों को शामिल किया गया है और उनके लिए कितनी राशि आवंटित या खर्च की गई है; और

(घ) वर्ष 2020 से अब तक किसानों से प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है और शिकायतों की सुनवाई के लिए किन नोडल अधिकारियों को अधिकृत किया गया और शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 3000/- रूपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है जो कुछ अपवर्जनों के अध्यधीन है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में किसानों की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रूपये से 200 रूपये प्रति माह के बीच होती है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना का निधि प्रबंधक है। पीएम-केएमवाई योजना के अंतर्गत राज्यवार कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है। तथापि, वर्ष 2019 से अब तक पीएम-केएमवाई के लिए देश भर में कुल 540.66 करोड़ रूपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

दिनांक 06.02.2026 तक, पीएमकेएमवाई योजना में 24.96 लाख किसान पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से मइलादुथुरई और तंजावुर जिलों में पंजीकृत किसान निम्नानुसार हैं:

जिला	पंजीकृत किसान
मइलादुथुरई	12
तंजावुर	4939

पीएम-केएमवाई के प्रारंभ के बाद से किसानों के पंजीकरण का राज्यवार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(घ): पीएम-केएमवाई के अंतर्गत, पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) द्वारा किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना के लिए फंड मैनेजर है। किसान अपनी शिकायतें संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ या सरकार के केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। CPGRAMS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	वित्त वर्ष	कुल शिकायतें	शिकायतों का समाधान	लंबित शिकायतें
1	2019-20	2	2	-
2	2020-21	1	1	-
3	2021-22	1	1	-
4	2022-23	1	1	-
5	2023-24	2	2	-
6	2024-25	12	12	-
7	2025-26	12	12	-

अनुबंध

शुरुआत के बाद से पीएम-केएमवाई के तहत किसानों के पंजीकरण का राज्यवार विवरण, 06.02.2026 तक तक

क्रम संख्या	**राज्य**	**संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	522
2	आंध्र प्रदेश	32,426
3	अरुणाचल प्रदेश	2,379
4	असम	13,664
5	बिहार	3,46,326
6	चंडीगढ़	530
7	छत्तीसगढ़	2,02,913
8	दिल्ली	372
9	गोवा	151
10	गुजरात	66,687
11	हरियाणा	5,74,510
12	हिमाचल प्रदेश	3,582
13	जम्मू और कश्मीर	1,27,019
14	झारखंड	2,53,459
15	कर्नाटक	73,662
16	केरल	1,366
17	लद्दाख	115
18	लक्षद्वीप	72
19	मध्य प्रदेश	1,17,738
20	महाराष्ट्र	80,769
21	मणिपुर	591
22	मेघालय	751
23	मिजोरम	306
24	नागालैंड	1,186
25	ओडिशा	1,57,785
26	पुडुचेरी	150
27	पंजाब	13,062
28	राजस्थान	39,115
29	सिक्किम	39
30	तमिलनाडु	1,10,669
31	तेलंगाना	9,928
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	287
33	त्रिपुरा	855
34	उत्तर प्रदेश	2,52,528
35	उत्तराखंड	2,176
36	पश्चिम बंगाल	8,562
	कुल	**24,96,252**

*****